फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 11/3/24 को पेश हो।
	11/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 19/4/24 को पेश हो।
	19/4/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब [illegible] अन्य कार्य में [illegible] कारण कार्यवाही नहीं [illegible]। पत्रावली दिनांक 10/6/24 को पेश हो।
	10/6/24	पत्रावली [illegible]। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स, कार्य स्थगि[illegible]रने के कारण कार्यवाही नहीं की जा स[illegible]। पत्रावली दिनांक 18/7/24 को पेश हो।
I. D.	18/7/24 18/7/2024	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उप॰। वकील प्रतिवादी उप॰। प्रतिवादी ने अंडरटेकिंग पेश की कि "मैं खातेदार आसामी यह अंडरटेकिंग नियमानुसार प्रस्तुत कर रही हूँ कि उक्त भूमि का गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं करूँगी तथा यदि करूँगी तो सक्षम अधिकारी से नियमानुसार रूपान्तरण करवाकर ही करूँगी।", जिसे शा॰ मि॰ किया गया। प्रकरण में पैरोकार सरकार एवं वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध

फर्द अहकाम

बनाम

[न्य]ायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

[वा]द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

[क्र]मांक आज्ञा [य]ा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	दस्तावेजों का सगौर अवलोकन करने एवं उभय पक्ष की बहस का मनन करने के पश्चात् हम पाते है कि ग्राम दूधली, तहसील बस्सी के खसरा नं. 43 रकबा 0.2908 हे. के संबंध में खैरीकार सरकार ने प्रतिवादी के विरुद्ध दावा अंतर्गत धारा 177 सपठित धारा 63(1)(5) आर. टी. एक्ट 1955 पेश किया है जिसके अनुसार प्रतिवादी उक्त खातेदारी भूमि पर पक्की चारदीवारी, कमरा, गार्डन व स्विमिंग पूल बनाकर कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य में उपयोग में ले रहा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। खातेदार प्रतिवादी कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने के फलस्वरूप राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेदखली योग्य हो गये है। प्रतिवादी द्वारा जरिये वकील कथन किया गया कि उक्त भूमि पर कोई स्विमिंग पूल निर्मित नहीं है। प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि में पौधे लगाकर बगीचा तैयार किया गया है तथा सुरक्षा	

...ीकार सरकार
...प.1 प्रतिवादी
...कि "मैं
...डरटेकिंग
...रही हूँ कि
... कार्य के
...गी तथा
... अधिकारी
...रण करवाकर
... मि. किया

...सरकार
... बहस
...पलब्ध

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		के लिए चारदीवारी बनवाकर रिहायश के लिए मकान का निर्माण किया गया है जो कृषि भूमि में सुधार की श्रेणी में आता है। प्रतिवादी द्वारा उपर्युक्त अंडरटेकिंग भी पेश की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात् आदेश किया जाता है कि प्रा० पत्र/दावा में वर्णित खसरा नंबर पर यदि प्रतिवादी कोई भी गैरकृषि कार्य कर रहा हो तो उसे कृषि कार्य में परिवर्तित करें। यदि न्यायालय के निर्णय दिनांक से तीन माह की अवधि के पश्चात् खातेदारी भूमि पर कोई भी गैर कृषि कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पाया जाता है तो उक्त आराजी पर प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर भूमि भूमिधारक में निहित समझी जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो इस आशय की तहरीर तहसीलदार बस्ती को जारी हो डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature]